

APOLT INSTEH ON COUNCIL OF SOME

Advertisement No. 12

official export inspection & certification body of the Government of India, established under Export Inspection Council of India (EIC), the and Superannuation Fund created by EIC to insurance companies for managing the Gratuity Export (Quality Control & Inspection) Act, 1963 invites proposals from interested and eligible so as to reach the Director, Export Inspection EIC website www.eicindia.gov.in. Interested of submission of proposal etc., may be seen at such as the eligibility, the selection criteria, mode Organisation as and when they occur. Details liabilities in respect of employees meeting the gratuity and superannuation by 16.30 hours on **26th February 2012.** Council of India at the address mentioned above Insurance Companies may send their proposals of the

Deputy Director (NT)

उपोनंदशक (एनट



विज्ञापन सं. 12

आफिरिस्टल निर्यात निरीक्षण, निर्यात (गुणवत्त भारत सरकार का प्रमाणन निकास भारतीय नियोत सिवा-निवर्तन निधि की व्यवस्था करने हेतु इच्छेक संबंध में आनुतेषिक और सेवा-निवर्तन देयता पूर नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहर करने के लिए ईआइसी द्वारा सुनित ग्रेन्युटी एवं प्रस्ताव जमा करने का तरीका आदि ईआइर्स करता है।विवरण जैसे पात्रता, चयन |एवं पात्र बीमा कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित ख्यापित जब भी जरूरत पड़े संगठन के कर्मियों के वेबसाइट www.eicindia.gov.in पर देखा प्रस्ताव भेज सकते हैं जो 26 फरवरी, 2012 के भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद के पासा पहुंच अप. 4.30 बजे तक उपरोक्त पते पर निदेशक सकता है। इच्छुक बीमा कंपनियां अपना निरीक्षण परिषद (इंआइसी), मानदड एव